न्यायालय उपखण्ड अधिकारी- नदबई जिला- भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना- RAS)

प्रकरण सं. 23/2019 -

किस्म- उ. प्रार्थनापत्र- 212 RTA

निर्णय :- 17/12/19

(1) शौकीन पुत्र मेंगल
(2) जुम्मा खां पि. अल्लाहदीन
(3) सूरज खां पि. अल्लाहदीन

समस्त जाति- तेली- निवासी- गांगरोली तह.-नदबई

- प्रार्थीगण

बनाम-

——— x ———

(1) महेन्द्र
(2) मोहन
(3) रविराम

→ पि. हुकमसिंह जाति- जाट निवासी- गांगरोली तह. नदबई.

(4) हूंडी पुत्र- लखमी जाति- जाट- निवासी- गांगरोली

- अप्रार्थीगण -

उपस्थित :- श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट.
श्री फूलसिंह एडवोकेट.

निर्णय- प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा- 212 RTA

——— x ———

(1) यह है कि :- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212 RTA के तहत पेश किया गया है.

(2) यह है कि- आराजी ख.न. 118 रकबा 0.28, 119 रकबा 0.09, 143 रकबा 0.13, 144 रकबा 0.24, 179 रकबा 0.17, 535 रकबा 0.03, 558 रकबा

उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

0.04 मिलाकर कुल रकबा 0.98 है. वाके ग्राम गोगरोली पर विवादित. कृषि-आराजी के 1/4 हिस्से पर प्रार्थी स.1 व 1/4 हि. पर प्रार्थीगण स. 2 व 3 व ता. प्रतिवादी स. 5 बा. हि. बा. खातेदार की तरह - काबिज - रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं. शेष हिस्से पर तर. प्रतिवादी स. 6, 1/8 हि. पर व ता. प्रतिवादी स. 7, 1/48 हिस्से पर व ता. प्रतिवादी स. 8, 5/48 हिस्से पर व ता. प्रतिवादी स. 9, 1/8 हिस्से पर ता. प्रतिवादी-स. 10, 1/8 हिस्से पर सहखातेदार व काबिज काश्तकार है.

यह कि - विवादित - आराजी का 1/2 हि. प्रार्थी स. 1 के पिता मेगला पुत्र लालजिया व प्रार्थीस. 2 व 3 व ता. प्रतिवादी स. 5 के बाबा मेगला पुत्र लालजिया की खातेदारी आराजी है. मेगला की मृत्यु हो चुकी है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे मेगला के नाम 1/2 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड मे उनकी मृत्यु होने बावजूद गलत तरीके से खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण के एवं ता. प्रतिवादी. 5 के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है अतः प्रार्थीगण वि.आ. के मृतक मेगला के 1/2 हिस्से मे से प्रार्थी स. 1 अपने आपको 1/4 हिस्से का एवं प्रार्थी स. 2 व 3 एवं प्रतिवादी स. 5 अपने आपको बा-हि-बा 1/4 हि. पर खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा मृतक मेगला पुत्र लालजिया जाति-भील-निवासी गोगरोली का 1/2 पर से इन्द्राज-खातेदारी को कम करवा पाने के अधिकारी है.

(4) यह कि - आ.ख.न. 553 रकबा 0.04 वाके ग्राम - गोगरोली का अप्रार्थी स. 1 व 4 के ख.न. 552 रकबा 0.19 वाके गोगरोली से लगा हुआ व [illegible] नाजायज - लाभ उठाकर अप्रार्थी स. 1 व 4 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजी ख.न. - 553 रकबा 0.04 वाके गोगरोली मे लठ के बल पर [illegible] नीव खोदकर के व पक्का - निर्माण के प्रयास मे है. तथा ख.न. 553 से बेदखल - करने के प्रयास मे अप्रार्थी स. 1 व 4 ने वाके गोगरोली पर दि. 24.4.17 को प्रार्थीगण को धमकी - दे जबरदस्ती प्रार्थीगण व ता. प्रतिवादी स. 5 की सहखातेदारी के ख.न. 553. रकबा 0.4 वाके गोगरोली पर नीव खोदकर व पुख्ता निर्माण करेंगे - तथा प्रार्थीगण को जान से मार देंगे. इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी स. 1 व 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है.

उप खण्ड अधिकारी

इसलिए प्रार्थना है कि मौके व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है अतः प्रा.पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वा. भूमि पर कब्जा- कार्यवाही अवैध रूप से पाबन्द किया जावे. कि - आ.ख.न. 553 रकबा 0.04 है को गोचर भूमि में किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं करें - व [illegible] नामदी खसरा - 556 को बलापर बेदखल न करें - ।

अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र - अन्तर्गत धारा 212 RTA दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण 1 ता 4 की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र - पेश किया गया तथा अपने जवाब में वर्णित किया कि :-

(1) यह है कि - विवादित - आराजी पर - प्रार्थी 1/2 हि. प्रार्थीगण के पिता/दादा - स्व. - मंगला की खातेदारी की आराजी बताकर विरासतन - खातेदारी घोषित करने हेतु प्रार्थना की है जबकि - विरासत के विरुद्ध सिविल कोर्ट या ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल दर्ज कराये बिना इस प्रकार खातेदारी प्राप्त करने व दावा पत्र प्रस्तुत - करने का हक हासिल नहीं है ना ही - विरासत के विरुद्ध घोषणा [illegible] के अधिकार से बाहर होने के कारण - प्रा.पत्र खारिज योग्य है.

(2) यह है कि - ख.न. - 553 सटते अप्रार्थीगण का ख.न. 552 नहर लगा हुआ है लेकिन - ख.न. 554 - तो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं है तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज कराये बिना - दावा व प्रा.पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है अप्रार्थीगण का उक्त ख.न. 552 नहर से गुजर जाने वाली सड़क से लगा हुआ है. लेकिन - जो भाग - अप्रार्थीगण के ख.न. 552 का उत्तर सड़क से लगा हुआ है. उपर प्रार्थीगण ने जबरदस्ती छप्पर, [illegible] कुर्सी लगाकर अप्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है. झूठा पेश कर अपने ख.न. 553 की आड़ में इन अप्रार्थीगण के खिलाफ - अपने ही ख.न. 552 पर अवैध मौके की यथास्थिति बाबत, प्रार्थना किया है - जिससे अप्रार्थीगण को बेवजह सख्त हैरानी है.

(3) यह है कि - प्रा.पत्र पर विरासत के विरुद्ध को तय कराये बिना धारा - अन्तर्गत धारा 188 व 212 RTA के तहत - दावा व प्रा.पत्र लाने का कोई अधिकार हासिल नहीं है.

(4) यह है कि - प्रार्थीगण के कथन के आधार पर यदि मान लो ख.न. 553 व 552 की मध्य - सीमा विवाद का हो तो भी RTA के प्रावधान के विपरीत है. तथा [illegible] ख.न. 553 व 552 के सीमा - विषय है जो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है. तथा [illegible] सह खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना - यथास्थिति - आदेश - वैधानिक नहीं है [illegible]

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल कम्प्यूटर खतौनी सन् 2075 से 2078 ग्राम गोगापोखरी, नकल नक्शा मय खेत गोगापोखरी पेश की गयी।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब दावा के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल [illegible] नक्शा ख.न. 552 वाके गोगापोखरी, नकल कम्प्यूटर मौका [illegible] गोगापोखरी [illegible] पेश की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र धारा 24 RTA पर की गयी। प्रार्थी वकील द्वारा दौरान बहस कहा कि धारा 24 में दावा केवल [illegible] स्पष्ट नहीं होने के कारण पेश किया गया है। विवादित आराजी ख.न. 553 प्रार्थीगण की है जिसके सटे ख.न. 552 अप्रार्थीगण की मिल्कियत की है अप्रार्थी प्रार्थी के ख.न. 553 पर [illegible] दखल व कब्जा चाहते हैं तथा [illegible] पर नींव खोदकर पक्का निर्माण करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को आराजी में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को दावे के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा जारी सुदा स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वकील की बहस का खण्डन करते हुए कहा कि प्रार्थीगण सिर्फ खातेदार नहीं है ना ही [illegible], केवल खातेदार ही पाबन्द द्वारा कोई [illegible] किया गया है [illegible] करवाने के अधिकारी हैं। वि.आ.ख.नं. 553 के सहारे अप्रार्थीगण का उक्त ख.न. 552 नक्शे का ख.न. 552 जरूर लगा हुआ है अप्रार्थीगण का [illegible] लगा हुआ है उस पर प्रार्थीगण ने [illegible] अप्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध कर [illegible] ख.न. 553 व 552 के मध्य सीमा विवाद का है RTA के प्रावधान [illegible] के विपरीत है। तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण को [illegible] की आवश्यकता नहीं है तहसीलदार नक्शे की रिपोर्ट अनुसार दोनों पक्षकारों को पाबन्द किया जावे।

विपक्ष के प्रार्थी वकील ने कहा कि [illegible] को अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] नहीं लिया जा सकता है तहसीलदार रिपोर्ट अस्पष्ट है! स्थगन जारी सुदा TL कन्फर्म किया जावे।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया तथा पत्रावली- पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि-

प्रथम दृष्टया- प्रकरण- धारा 188 RTA का है। जिसके वाद- प्रार्थी/वादी RTA का पेश किया है जिसमें विवादित आराजी खेत नं 553 रकबा 0.054 वाले गोचा [illegible] पर स्थित है. तथा अप्रार्थी 1 ता 4 के खेत- 552 रकबा 0.013 हे [illegible] में स्थित है. तथा अप्रार्थीगण/ प्रार्थीगण का- कब्जा बताते है. तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का- काश्तकार बताते है - दोनों पक्षकार अपने अपने खसरा- नम्बरान में कब्जा बताते है जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विवादित- आराजी- पर मौके की- यथास्थिति- बनाये रखने की- आवश्यकता है।

(2) सुविधा का सन्तुलन:- दोनों पक्ष अपने आराजी में एक दूसरे का कब्जा- काश्तकारी बताते है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होना है अतः सुविधा का सन्तुलन- दोनों पक्षकारान- के पक्ष में है.

(3) अपूर्णीय- क्षति- दोनों पक्षों को अपूर्णीय-क्षति होने की संभावना है

अतः प्रापत्र के तीनों बिन्दुओं के आधार पर- उभयपक्षकारान, को पाबन्द किया जाना उचित है अतः आदेश है कि आराजी ख.न. 552, 553 पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु- उभयपक्षकारान को- दावे के निस्तारण होने तक- [illegible] पाबन्द किया जाता है. तथा बाकी शुदा [illegible] किया जाता है।

निर्णय- आज दिनांक- 17/12/19 को खुले न्यायालय- में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो

(हस्ताक्षर)
(विनोद [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]